

प्रेषक,

मो0 वासिफ,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद, बाँसी,  
जनपद-सिद्धार्थनगर।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 27 दिसम्बर, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-19/2023/आर0एफ0-96/नौ-9-2023/003-ई-1687353, दिनांक-01.03.2023 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में उक्त शासनादेश में उल्लिखित इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य हेतु नगर पालिका परिषद, बाँसी, जनपद-सिद्धार्थनगर को कुल लागत धनराशि रु0 157.60 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु0 78.80 लाख अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष, कराये गये कार्य की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, जनपद-सिद्धार्थनगर द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी, जनपद-सिद्धार्थनगर की उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद, बाँसी, जनपद-सिद्धार्थनगर को द्वितीय किश्त की धनराशि रु0 78.80 लाख (रूपये अठहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) अनुदान संख्या-83, पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-


नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83, के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02 मल जल तथा सफाई-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-02-नगर पालिका परिषद-30-निवेश/ ऋण" के नामे डाला जायेगा।
- (2) संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्य हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरित की जानी सुनिश्चित करेंगे।
- (3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 मार्च, 2025 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाणपत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

- 2 -
- (4) निकाय प्रश्नगत परियोजनाएं पूर्ण कर उनका पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त कार्य को जनपयोगी बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- (5) शासनादेश संख्या-19/2023/आर0एफ0-96/नौ-9-2023/003-ई-1687353, दिनांक-01.03.2023 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
- (6) उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि जिलाधिकारी प्रथम किश्त की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेंगे, तदोपरांत द्वितीय किश्त की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।
- (7) स्वीकृत की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि से शासनादेश संख्या-864/नौ-9-20-एल0सी0/19, दिनांक- 19 जून, 2020 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 78.80 लाख (रुपये अठहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 083** लेखा शीर्षक **6215027890402** नगर पालिका परिषदें मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।


4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/ दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
(मो0 वासिफ) 27.12.24  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-2890/2024/आर0एफ0-1134/नौ-9-2024/072-ई-1806003, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, जनपद-सिद्धार्थनगर।
6. कोषाधिकारी, जनपद-सिद्धार्थनगर।
7. निजी सचिव, मा0 मन्त्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, उ0प्र0 शासन।
9. स्टेट पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल/वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विभाग।

आज्ञा से,  
  
(मो0 वासिफ) 27.12.24  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025  
आवंटन दिनांक-27/12/2024

प्रेषण संख्या:- 289  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-289-2024-RF-1134-9-9-2024-072-E-1806003  
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)  
(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना  
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना  
02 - नगर पालिका परिषदें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	सिद्धार्थनगर-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान	7880000	7880000
		प्रगामी	7880000	7880000
	योग	वर्तमान	7880000	7880000
		प्रगामी	7880000	7880000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठहत्तर लाख अस्सी हजार  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठहत्तर लाख अस्सी हजार

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव